हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 38

वीरवार, 7 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 842 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1194 से 1202 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सख्याः 1202 के अनुपूरक प्रश्नों पर माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर पर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

दोपहर 12.00 बजे कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

मुख्य मंत्री ने बहिर्गमन की कड़े शब्दों में निंदा की।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1203 से 1229 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 305 से 318 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0ई0आर0 (स.प्र.से.)-बी(2)-8/2009 दिनांक 18.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः पी0ई0आर0(स0प्र0से0-I)बी(2)-8/2009-II दिनांक 09.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.05.2018 को प्रकाशित; और

(iii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18.

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति** ने समिति का अष्टम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** ने समिति का 10वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री ने श्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा अपनी चर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में की गई टिप्पणी का विरोध किया। इस पर दोनों ओर के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री हर्षवर्धन चौहान

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हर्षवर्धन चौहान ने माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ए.ओ.ह्यूम को 'कांग्रेस का बाप' कहने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया और इस वाक्यांश को असंसदीय मानकर कार्यवाही से निकालने का अनुरोध किया।

माननीय शिक्षा कार्यमंत्री ने कहा कि 'बाप' शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 'कांग्रेस का बाप' वाक्यांश असंसदीय है, इसे माननीय मंत्री या तो वापिस लें या इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा - "मुझे लगता है कि न तो श्री हर्षवर्धन चौहान जी की कोई ऐसी मंशा थी और न ही शिक्षा मंत्री जी की ऐसी मंशा थी। परन्तु जो बात श्री वीरभद्र सिंह जी ने कही है, उसको मानते हुए यदि कार्यवाही में कहीं भी 'कांग्रेस का बाप' वाक्यांश आया हो, उसे कार्यवाही से निकालने का निर्णय दिया जाता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, परन्तु कोर्ट ने लॉ में लगातार यह फ़ैसला दिया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाथुराम गोड़से की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है और न ही

पूजनीय गांधी जी की हत्या में आर.एस.एस. का कोई रोल था। इसी आधार पर पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय नेहरू जी ने संघ पर से प्रतिबन्ध हटाया था। इसलिए इसे किसी प्रकार भी सदन में चर्चा का विषय न बनाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।"

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

3. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री जगत सिंह नेगी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मंत्रियों द्वारा अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने से सदस्यों का समय इस्तेमाल हो रहा है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान उठाया गया कोई विषय यदि किसी मंत्री के विभाग से संबंधित होने पर तुरन्त प्रतिक्रिया योग्य हो तो संबंधित मंत्री हस्तक्षेप कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सुख राम ने **श्री हर्षवर्धन चौहान** द्वारा की गई चर्चा में अपने क्षेत्र की SMC का वर्णन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

4. श्री रमेश चंद ध्वाला

श्री राम लाल मारकण्डा, माननीय कृषि मंत्री ने श्रीमती आशा कुमारी द्वारा अपनी चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

5. श्री नन्द लाल
6. श्री नरेन्द्र ठाकुर
7. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
8. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मुख्य मंत्री के उत्तर के बीच नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जा रही टीका-टिप्पणी पर जब माननीय अध्यक्ष ने उन्हें ऐसे न करने की सलाह दी तो कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर अपनी बात कहने लगे। इस पर सत्तापक्ष के सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए। दोनों पक्षों की और से नारेबाजी हुई।

04.30 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

कांगेस विधायक दल द्वारा सदन से बहिर्गमन करने पर **माननीय अध्यक्ष** ने निम्नलिखित टिप्पणी की -

"सभी माननीय सदस्यों को समय की परिधि में रह कर अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्हीं की बातों का उत्तर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री खड़े हैं। ऐसे समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी को बार-बार बाधित करना शोभा नहीं देता और यह सदन की परिपाटी के विपरीत है। "

माननीय मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा पैदा की गई इस परिस्थिति की निंदा की

सदन की बैठक का समय 5.30 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उन्हें संबोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

05.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार 8 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।